

श्री. आनंद गुरुदेव,
सुपुत्र सपुत्र,
वैष्णव वृद्ध गुरुदेव

तस्मिन्
हस्तसिद्धिः नाम्नायामिकं विद्यायां विरचितं
विद्यायां हस्तसिद्धिः २ तस्मिन्नायामिकं विद्यायां
प्रतिष्ठितं विद्यायां नमः विद्यायां

तृतीयः दिनांकः २० अक्टूबर, १९९६

મહોદય,

१०० विद्यमानाथ की पंजीकृत कोलापटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

12। विद्यमान की प्रत्यक्ष समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होना : —

॥ ५३ ॥ विद्यापति, ये कम से कम दस प्रतिष्ठा स्थान अनुष्ठित जाति/अनुष्ठित
 विद्यापति: हे धर्मों के लिए हरित रहने और उनसे उत्तार प्रदेन

प्रमाणिक शिक्षा परियोजना द्वारा संवाहित विद्यार्थियों में विभिन्न
कार्यों के लिए निर्धारित हस्त लेखन पुस्तक नहीं दिया जायेगा

14. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की
जिससे कि वह जायेगी और यदि पूर्व में विद्यमान माध्यमिक शिक्षा परिषद से
किसी प्रकार की शिक्षा परिषद में सम्पत्ति प्राप्त है तथा विद्यालय की
सम्पत्ति में से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद को शीत फंड दि. ३१.३.५५
तक सही फिफ्ट बरखा निवेदन नहीं दिलाती है प्राप्त होती है तो
परिषदा परिषदों से सम्पत्ति प्राप्त होती है कि तिथि से परिषद
सम्पत्ति एवं राज्य सरकार से अनुदान स्वतः सम्पत्ति हो जायेगी।

15। संस्था तैलिन की नियमित कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्रदान करती है और कर्मचारियों को प्रमुख वेतनमानों तथा अन्य भागों से कम वेतनमान तथा अन्य भागों नहीं दिये जायेंगे ।

४६। कम्यारियों को तेषा भर्ति बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त
आवासकी उपलब्धता साधनमिष्ठ विद्वानाभों के कम्यारियों को अनुप
तेशा निवृत्ति का साथ उपलब्ध कराये जायेगे ।

171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निगलित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

180 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/विधाओं में रखा जायेगा ।

191 उपर्युक्त में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन संशोधन या परिष्करण नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय ।

111 विद्यालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को 10 पाठ्यक्रमों में अद्यावत करके ज्ञान को अद्यतन कराया जाय ।

121 विद्यालय अपने में मानकानुसंग पुरतकानुसंग की व्यवस्था की जाय ।

3- उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होना और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गड़बड़ या गिरावट आ रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक मांगनी
संयुक्त सचिव ।

गु0सं0 3250111/15-7-1996 तदुद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुनार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यम, संयुक्त शिक्षा निदेशक, पारागर्भी ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, सोनभद्र ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, माडन का स्टेन्ड स्टूडेंट्स-8 ओबरा सोनभद्र ।

आज्ञा है,

17/2/96
अशोक मांगनी
संयुक्त सचिव ।